केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/30 दिनांक: 05.02.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00030
CICOM/R/2017/01500

अपीलकर्ता : सुश्री नीरजा,
द्वारा- श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर सं. 404,
उच्चतम न्यायायल, नई दिल्ली ।
मो0 – 9968876357.

निर्णय की तारीख : 05.02.2018

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 14.12.2017 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 29.12.2017 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्रीमती सविता तलूजा |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 23.12.2018 (अपीलकर्ता से शायद भूलवश 23.01.2018 की जगह 23.12.2018 टंकित हो गया है) |

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 14.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से नियमित कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित 01 नवम्बर, 2017 से लेकर आज तक केन्द्रीय सूचना आयोग एवं डी.ओ.पी.टी./यू.पी.एस.सी./एस.एस.सी. के मध्य हुए सम्पूर्ण पत्राचार की प्रमाणित छाया प्रतियों की मांग की गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन में अलग अलग पता दिया गया है । साथ ही यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 14.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्रीमती सविता तलुजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 29.12.2017 को पत्र सं. 3/2/2017/Admin/CIC/ST/01500 के माध्यम से आर.टी.आई. आवेदन में उल्लिखित पते पर प्रेषित की गई थी, जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में अवितरित वापस आ गई है । यदि अपीलकर्ता चाहें तो केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय आकर प्रदान की गई सूचना की प्रति प्राप्त कर सकते हैं ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्रीमती सविता तलुजा, अनुभाग अधिकारी एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
06 FEB 2018
D. No.
Initials.